मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2014 (13 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 36 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 72 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 25 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तदनुसार –

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य की इन्दौर में सी.एन.जी. वितरण स्टेशंस की कमी होने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम जिले में लगातार नकली दवाइयों का कारोबार होने,
(3) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम हिंगोनाकला में विद्युत लाईंस लटकी होने से दुर्घटनाएं होने,
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की नागदा ग्रेसिम उद्योग के कर्मचारियों का पांच-साला समझौता न होने,
(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की एन.आर.एच.एम. में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पद पर नियम विरूद्ध नियुक्ति की जाने,
(6) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की हालत जर्जर होने,
(7) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोकनगर के ग्राम आमरोद में, सीगाखेड़ी सड़क निर्माण में अनियमितता होने,
(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम गोहरा में पानी की टंकी फटने से एक महिला की मृत्यु होने,
(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के नारदेश्वर मंदिर के पास सिंध नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने,
(10) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में विद्युत विभाग द्वारा अधिक राशि वसूली जाने,
(11) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की शासन द्वारा जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के गलत आदेश के कारण पेंशन प्रकरणों का निपटारा न होने,
(12) श्री गिरीश गौतम, सदस्य की रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान से सीतापुर सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने,
(13) श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल, सदस्य की सिंगरौली के देवसर एवं सिहावल विकास खण्डों में बलराम तालाब योजना में अनियमितताएं होने,
(14) श्रीमती चन्दा सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के जतारा में स्वीकृत पॉलिटेकनिक महाविद्यालय का निर्माण, भुगतान न होने के कारण रोके जाने,
(15) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम बांखां तक की सड़क निर्माण के साथ रपटे का निर्माण न किये जाने,
(16) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा नगर में सड़कों के खोदे जाने,
(17) श्री जितू पटवारी, सदस्य की खाचरौद में शासकीय दुकानों का राशन मार्केट में बेचे जाने,
(18) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले के ग्राम नोहटा द्वारा हिनौती जुझार सड़क मार्ग का निर्माण होने,

(19) श्री वैलसिंह भूरिया, सदस्य की धार जिले के ग्राम राजैद में पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण करने,
(20) पं.रमाकांत तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के डभौरा-चिल्ला मार्ग निर्माण में अनियमितता की जाने,
(21) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के मकरोनियां से गम्भीरिया तक सड़क निर्माण किये जाने,
(22) श्री लाखन सिंह पटेल, सदस्य की प्रदेश में डी.एड. डिग्री की अवधि दो वर्ष किये जाने से असमंजस की स्थिति होने,
(23) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिले के देवरी नगर में भारी भरकम विद्युत बिल दिये जाने,
(24) श्री मोती कश्यप, सदस्य की बैतूल जनपद पंचायत द्वारा मछली पालन हेतु दिये जा रहे पट्टे में अनियमितता होने तथा
(25) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के संघवा से खेतिया तक सड़क निर्माण न किये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पटल पर रखा.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, 2012-13 पटल पर रखे.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखा.

(3) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने –
- (क) सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-83-छब्बीस-2-2010, दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 तथा
- (ख) आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(4) श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे, वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने –
- (क) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर, लेखों का वार्षिक विवरण, 2012-13 एवं
- (ख) (i) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 तथा
  - (ii) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2012-13
- (ग) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(6) श्री भूपेन्द्र सिंह, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं --
- (i) क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-07, दिनांक 24 फरवरी, 2014
- (ii) क्रमांक एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04, दिनांक 26 मई, 2014 तथा
- (iii) क्रमांक एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-14, दिनांक 26 मई, 2014 पटल पर रखीं.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा व्यापम मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग करते हुए बहिर्गमन किया गया)

5. मार्च, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने मार्च, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने मार्च, 2014 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार दिनांक 2 जुलाई, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014)	**30 मिनट**
2.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)	**30 मिनट**
3.	मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014)	**30 मिनट**
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2014	**30 मिनट**

वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये आवंटित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या, सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 26- संस्कृति 37- पर्यटन 48- नर्मदा घाटी विकास 65- विमानन	2 घण्टे 30 मि.
2.	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 5- जेल	2 घण्टे
3.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	6- वित्त 7- वाणिज्यिक कर 23- जल संसाधन 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें 60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	वित्त विभाग की मांग को छोड़ कर शेष मांगों के लिये 2 घण्टे
4.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	17- सहकारिता 30- ग्रामीण विकास 34- सामाजिक न्याय 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62- पंचायत 74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घण्टे
5.	डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री	10- वन 71- जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी)	1 घण्टा

6.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	21- आवास एवं पर्यावरण 22- नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 78- सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय	2 घण्टे
7.	श्री सरताज सिंह, मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67- लोक निर्माण कार्य- भवन	1 घण्टा 30 मिनट
8.	डॉं. नरोत्तम मिश्र, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 38- आयुष 72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 73- चिकित्सा शिक्षा	2 घण्टे
9.	कुंवर विजय शाह, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
10.	श्री गौरीशंकर बिसेन, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2 घण्टे
11.	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	44- उच्च शिक्षा 47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 70- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घण्टे
12.	सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री	14- पशुपालन 16- मछली पालन 20- लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी 28- राज्य विधान मण्डल 29- विधि और विधायी कार्य 50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण 56- ग्रामोद्योग	1 घण्टा
13.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 43- खेल और युवक कल्याण 51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1 घण्टा
14.	श्री पारस चन्द्र जैन, मंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1 घण्टा
15.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री	12- ऊर्जा 25- खनिज साधन 32- जनसम्पर्क 76- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2 घण्टे
16.	श्री अन्तर सिंह आर्य, मंत्री	18- श्रम 63- अल्प संख्यक कल्याण 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घण्टा
17.	श्री रामपाल सिंह, मंत्री	8- भू राजस्व तथा जिला प्रशासन 9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 35- पुनर्वास 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2 घण्टा

18.	श्री ज्ञान सिंह, मंत्री	15- 33- 41- 42- 49- 52- 53- 64- 68-	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता आदिम जाति कल्याण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य –सड़कें और पुल अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1 घण्टा 30 मिनट
19.	श्रीमती माया सिंह, मंत्री	55-	महिला एवं बाल विकास	30 मिनट
20.	श्री भूपेन्द्र सिंह , मंत्री	36- 46- 69-	परिवहन विज्ञान और टेक्नालॉजी सूचना प्रौद्योगिकी	30 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश चावला, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री सचिन यादव, सदस्यगण ने प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को अधिक दर से खाद की बिक्री किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) डॉ. मोहन यादव, सदस्यगण ने उज्जैन जिला अंतर्गत क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 3 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे:-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2014
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2014
3.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2014

10. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92-विजयराघवगढ़ से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय पाठक तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166-आगर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री मनोहर ऊंटवाल द्वारा विधान सभा में अपने-अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिन्हें उनके द्वारा क्रमश: 31 मार्च, 2014 एवं 30 मई, 2014 को स्वीकृत किया गया है.

11. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह
(2) श्री कैलाश चावला
(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) डॉ. गोविन्द सिंह

12. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2014 को आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-2)	श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी	30 मिनट
2.	(क्रमांक-4)	श्री रामलल्लू वैश्य	30 मिनट
3.	(क्रमांक-7)	श्री केदारनाथ शुक्ल	30 मिनट
4.	(क्रमांक-11)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	30 मिनट
5.	(क्रमांक-15)	श्री विश्वास सारंग	30 मिनट

श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(2) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

14. शासकीय वक्तव्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने –
(क) भूमि प्रयोजन में व्यपवर्तन के फलस्वरूप प्रीमियम निर्धारण में परिवर्तन के लिये नियम (धारा 59 के अधीन नियम) बनाये जाने तथा
(ख) स्थायी पट्टों के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त उल्लंघन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया बनाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भूमि आवंटन की दर असिंचित कृषि भूमि के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया.

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने विभिन्न रोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

15. बजट भाषण 2014-15 में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने दिनांक 1 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन के बजट भाषण, 2014-15 के मुद्रित अंश (पृष्ठ 51, कंडिका 22 की पंक्ति 2) में संशोधन संबंधी वक्तव्य दिया.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

17. अध्यक्षीय व्यवस्था

बजट की गोपनीयता भंग होने सम्बन्धी व्यवस्था के प्रश्न विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि वित्त मंत्री द्वारा बजट की गोपनीयता भंग की गई है. दिनांक 29 एवं 30 जून, 2014 को समाचार पत्रों में छपा है कि बजट में इस बार कोई कर नहीं लगेगा और जो बजट आया वह भी उसी के अनुरूप आया. सदन में विषय आने के पहले ही समाचार पत्रों में पहुंचाकर, बजट की गोपनीयता भंग करना, सदन की अवमानना है.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि जब भी कोई बजट आता है तो सभी अखबार वाले अपने-अपने कयास लगाते हैं और हमसे मिलते हैं. परन्तु यह हमें पता है कि उनसे कब और कितनी बात करनी है. बजट या उसका कोई भी अंश हमने कभी भी किसी को नहीं बताया है.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्री के जवाब के परिप्रेक्ष्य में, व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य कर माननीय सदस्य से सामान्य चर्चा पर अपना भाषण प्रारम्भ करने संबंधी व्यवस्था दी गई.

18. वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2014 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

19. स्वागत - उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत संबंधी उल्लेख किया गया.

20. वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

(5) श्री बहादुर सिंह चौहान
(6) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
(7) श्री शैलेन्द्र जैन

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(8) डॉ. मोहन यादव
(9) श्री जयवर्द्धन सिंह

21. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय कार्य के समय में परिवर्तन विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के संपादन के लिए नियत है. परन्तु, आज कार्यसूची में उल्लिखित बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त अशासकीय कार्य लिया जायेगा.

22. वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(10) श्री अनिल फिरोजिया
(11) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)
(12) श्री मुकेश नायक
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(14) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(15) श्री दुर्गालाल विजय
(16) श्रीमती शीला त्यागी

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

23. अध्यक्षीय घोषणा
अशाकीय संकल्पों पर सम्यक चर्चा कर स्वीकृत किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि आज के सभी संकल्प परिवहन मंत्री से संबंधित है और सभी में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाना है इसलिए सभी प्रस्तुतकर्ता सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेने तथा माननीय परिवहन मंत्री द्वारा जवाब देने के पश्चात् सदन की सहमति से, सर्वसम्मति से पास कर के केन्द्र शासन से अनुरोध करने हेतु भेजने हेतु शासन तैयार है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों की सहमति के आधार पर, सभी अशासकीय संकल्पों पर सम्यक चर्चा प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की गई.

24. अशासकीय संकल्प

(1) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि बड़वाहा महेश्वर मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज की स्वीकृति प्रदान की जाय". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

(2) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हाबड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस को व्हाया इटारसी भोपाल तक चलाई जाय". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वर्षो से लंबित ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय ". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

(4) अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य के अशासकीय संकल्प को माननीय सदस्य के अनुरोध पर, बाद में लिये जाने की घोषणा की गई.

(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल-दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को हबीबगंज स्टेशन से चलाया जाय ". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

समस्त संकल्प प्रस्तुत हुए.

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री द्वारा सभी संकल्पों का एक साथ उत्तर दिया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा आज की कार्यसूची के 15 के उपपद (1), (2), (3) एवं (5) के सम्बन्ध में सम्बन्धित माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत करने हेतु सदन का मत लिया गया.

समस्त संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

अपरान्ह 4.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2014 (16 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 4 जुलाई, 2014